



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237397
CG-DL-E-20072022-237397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]
No. 516]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

सं. 03/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 589(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 (1994 का 32) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) के उपवाक्य(च), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 3 और सेवा कर नियम, 1994 के नियम 3 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, निम्नलिखित के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन 30 जून, 2017 के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के प्रावधानों के तहत दायर अपीलों, जैसा भी मामला हो, को आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर, को स्थानांतरण करने के लिए भी, प्रयोग की जा सकती हैं-

(क) प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर; या

(ख) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-240137/58/2021-सेवा कर प्रभाग-सीबीईसी]

रुबल सरोहा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2022

No. 03/2022-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 589(E).—In exercise of the powers conferred by section 37A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and clause (f) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, hereby directs that the powers exercisable by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under rule 3 of the Central Excise Rules, 2017 and rule 3 of the Service Tax Rules, 1994, may be exercised also by-

(a) the Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax; or

(b) the Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax,

for the purpose of transfer of appeals filed after the 30th June 2017 under his jurisdiction to the Commissioner of Central Excise and Service Tax (Appeals) under his jurisdiction, under the provisions of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the Finance Act, 1994 (32 of 1994), as the case may be.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. CBIC-240137/58/2021-Service Tax Section-CBEC]

RUBAL SAROHA, Under Secy.